न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 16/2019

1 अर्जुनलाल उम्र 54 वर्ष पुत्र बसन्तलाल जाति जांगिड़ निवासी पंचमुखी बालाजी मन्दिर के पास कस्बा फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 प्रभुदयाल उम्र 70 वर्ष पुत्र प्रहलादराय जाति ब्राहम्ण निवासी चिरानियां का मोहल्ला कस्बा फतेहपुर जिला सीकर।
2 तहसीलदार पदेन उप पंजीयक फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर।
3 हल्का पटवारी कस्बा फतेहपुर जिला सीकर।
4 नगरपालिका मण्डल फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश एस.डी.ओ. फतेहपुर दिनांकित 13.03.2019 अन्तर्गत प्रकरण अर्जुनलाल बनाम प्रभुदयाल आदि 212 आर.टी.एक्ट. मुकदमा नम्बर 39/2018

उपस्थिति :

1. श्री राजकुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सांवरमल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 14.09.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 39/2018 में पारित निर्णय दिनांक 13.03.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट/प्रार्थी ने एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं राजस्व रिकार्ड में संशोधन अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकार अधिनियम एवं धारा 136 भू.रा.अधिनियम के अन्तर्गत विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर के समक्ष पेश किया तथा साथ एक 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1042,1046,1047, 1034,1033,657/1,659/1,660/2/2 वाके ग्राम फतेहपुर जिला सीकर बाबत उपरोक्त आवेदन 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की पत्रावली में दिनांक 27.12.2018 को विचारण न्यायालय ने वादग्रस्त भूमियों पर स्थगन आदेश दिया तथा दिनांक 13.03.2019 को पत्रावली जवाब हेतु नियत थी किन्तु अप्रार्थीगण ने उक्त नियत दिनांक को कोई जवाब पेश नही किया तथा विचारण न्यायालय ने बहुत ही गलत आधार पर दिनांक 13.03.2019 को स्थगन आदेश दिनांक 27.12.2018 को खसरा नम्बर 1042,1046,1047,1034,1033, 1035/2330 एवं 1043 वाके कस्बा फतेहपुर पर स्थगन आदेश अपास्त कर दिया तथा शेष खसरा नम्बर 657/1,659/1,660/2/2 स्थगन आदेश यथावत रखा। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट का जवाब हेतु पत्रावली नियत थी तथा जब तक जवाब नही आ जाता रेस्पोडेंट अप्रार्थी की कोई बात विश्वसनीय नहीं मानी जाती जबकि अपीलांट का स्वंय का शपथ पत्र दस्तावेज से अपीलांट का मामला प्रमाणित है। कानूनी अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन का निस्तारण करने के पूर्व तीन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति कायम की जाकर न्यायालय को उन तीन बिन्दु पर निर्णय दिया जाना आवश्यक है। विचारण न्यायालय ने प्रकरण में उक्त तीन बिन्दु की विरचना सही की तथा कानून के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं कर आदेश प्रदान किया है। विचारण न्यायालय का आदेश कानून की नजर में स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है। वादग्रस्त भूमियों में से खसरा नम्बर 660/2/2 जिसके नये खसरा नम्बर 1036/2348,657/1 जिसके नये खसरा नम्बर 1032,659/1 जिसके नये खसरा नम्बर 1035/2329 है की भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमियां है जिस पर पूर्व में प्रार्थी के पिता बसन्ता की कब्जा काश्त थी तथा पिछले करीब 60 वर्षो से अधिक समय से वादग्रस्त भूमियों पर प्रार्थी के पिता के समय से ही प्रार्थी/अपीलांट की कब्जा काश्त चली आ रही है तथा प्रार्थी/अपीलांट अपने परिवारजन सहित वादग्रस्त भूमियों पर लगातार 60 वर्षो से अपने पिता के समय से काबिज चला आ रहा है इस चौमासे में भी प्रार्थी/अपीलांट ने वादग्रस्त भूमियों पर गुवार, चुला, बाजरा, मोठ, मूंग की काश्त की है तथा लाट बाट की है। विचारण न्यायालय ने बिना विधिक प्रकिया अपनाये विचाराधीन निर्णय पारित किया है। अत अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपने आवेदन में पुराने खसरा नम्बर 660/2/2,657/1, 659/1 के सन्दर्भ में आवेदन प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन आदेश में खसरा नम्बर 657/1,659/1,660/2/2 पर स्थगन जारी रखते हुये शेष खसरा नम्बरान से स्थगन हटाया गया है। विचारण न्यायालय का यह आदेश अन्तरिम आदेश है। विचारण न्यायालय में धारा 212 पर उभयपक्ष को सुनकर निर्णय किया जाना शेष है। विचाराधीन आदेश अन्तरिम आदेश होने से इसमें हस्तक्षेप किया जाना विधि सम्मत नही है। अपील खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपने आवेदन में पुराने खसरा नम्बर 660/2/2,657/1, 659/1 के सन्दर्भ में आवेदन प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन आदेश में खसरा नम्बर 657/1,659/1,660/2/2 पर स्थगन जारी रखते हुये शेष खसरा नम्बरान से स्थगन हटाया गया है। विचारण न्यायालय का यह आदेश अन्तरिम आदेश है। विचारण न्यायालय में धारा 212 पर उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण पर निर्णय किया जाना शेष है। विचाराधीन आदेश अन्तरिम आदेश होने से इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 14.09.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर